(a) whether the attention of Government has been drawn to a news report appearing in the Hindustan Times, dated 16th April, 1996 under the caption "where starvation and disease reign"; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) yes, Sir. The news report did not appear in the Hindustan Times, dated 16th April, 1996. However, it appeared in the Indian Express on the same date.

(b) The news report has been brought to the attention of the State Government. A Central Planning Committee is already in existence for monitoring preventive measures etc. for combating starvation, malnutrition etc. in extreme backward tribal pockets of various States including Bihar.

हरियाणा में गोदामों का निर्माण

2153. **श्री रामजीलाल:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां और कितने-कितने;

(ग) क्या हरियाणा में चावल व गेहूं की अच्छी व अधिक पैदावार को देखते हुए सरकार वहां शीघ्र ही गोदामों का निर्माण करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम राज्य में उत्पादित समस्त गेहूं और धान की खरीदारी नहीं करता है बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की वसूली करता है जो राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। निगम का यह विचार है कि हरियाणा में खाद्यान्नों की वसूली को हैंडल करने के लिए इसके पास पर्याप्त भंडारण क्षमता है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें और श्रमिकों को मुआवजा

2154. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत् तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या प्रभावित श्रमिकों/उनके निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान यथा-शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) गत तीन वर्षों (1993—1995) की अवधि के दौरान कोयला खानों में कुल 2784 दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप 641 श्रमिकों की मौतें हुईं तथा 2500 श्रमिक घायल हुए।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०), सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (सि०को०कं०लि०) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० (ने०लि०का०) द्वारा गत तीन वर्षों (1993—95) की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की अदायगी कर दी गई है।

घायल होने की स्थिति में मुआवजे की राशि का निर्धारण, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार तथा अपंगता की मात्रा श्रमिक की आयु तथा उसकी मासिक आय के आधार पर किया जाता है। मृत्यु होने के मामले में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की संगणित की गई राशि के अतिरिक्त कोल इंडिया लि० द्वारा मृत कामगारों के आश्रितों को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया जाता है:—

(i) अंत्येष्टि पर किया गया व्यय	— 500/- रु०
(ii) अनुग्रह राशि	— 10,000/- रु०